भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 977

सोमवार, 29 जुलाई, 2024 /7 श्रावण, 1946 (शक)

घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति

977. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 2019 में शुरू किए गए घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के पूरा होने में हुई देरी के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और देरी के कारण तथा इसके पूरा होने की वर्तमान समय-सीमा क्या है;

(ख) घरेलू कामगारों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जो 2019 से मसौदा-चरण में है: और

(ग) देश में ई-श्रम पोर्टल पर वर्तमान में पंजीकृत घरेलू कामगारों की अद्यतन संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) श्रम ब्यूरो ने घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण का फील्ड वर्क (क्षेत्री कार्य) पूरा हो चुका है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, जिसे अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल कर लिया गया है, घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में केंद्र और राज्य सरकारों को घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का अधिदेश दिया गया है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत घरेलू कामगारों की संख्या का ब्यौरा www.eshram.gov.in पर उपलब्ध है।

*****